

दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला



प्रश्नकार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण, जिनमें वकैय अधकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, आर एस गर्ग, पुष्पिकांतां अधकारी, हुकुमचन्द सिंघाई महाप्रबधक और क्रेता भवना पति प्रभात कुमार सिन्हा को पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाया गया.

दोषियों पर 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000-1000 अर्धदण्ड (प्रत्येक आरोपी को) दंडित किया गया है।

कुशवाहा ने बताया कि ग्राम महाबन्धिया तहसील हुजूर जिला भोपाल के कृषक मोहम्मद फ़िरोज ने अपनी कृषि भूमि 1990 में बंधक और 20,000 रुपये का लोन पंध और श्रेसर के लिये लिया था.